न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 40/2021

श्री अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मोहल्ला चुडीगरान पुरानी टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रबन्धक खाघ आपूर्ति निगम टोंक
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 9-12-2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रबन्धक खाघ आपूर्ति
निगम टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30-09-2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न
सूचना चाही गई थी :-

1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1)के अन्तर्गत प्रथम अपील
अधिकारी का नाम और कार्यालय का पता, की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराइ जाए।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3)के अन्तर्गत द्वितीय अपील
श्रीमान् मुख्य सूचना आयुक्त का पता की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

3 दफतर में सभी अधिकारी व कमचारियों के नाम व पदनाम व शक्तियों का विवरण,
उनके फोन नम्बर की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

4 प्रबन्धक खाघ आपूर्ति निगम टोंक राजस्थान द्वारा अगर डाईरेक्ट आंगनबाडी केन्द्र
संख्या 5-49-95-7-73-81-15 को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई होतो जैसे-
गैहुॅ, चावल, दाल आदि के चालानों कि प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए
दिनांक 1.5.2021 से 19.9.2021 तक।

5 मातृ बाल विकास समिति द्वारा आंगनबाडी केन्द्र संख्या 5-49-95-7-73-81-15
को राशन डीलर द्वारा वितरण की गई खाद्य सामग्री के चालानों की प्रमाणित
प्रतिलिपि देवे, जैसे दिनांक 1.5.2021 से 19.9.2021 तक जैसे गैहुॅ, चावल, दाल के
चालानों कि प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी
के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को
... लोक सूचना अधिकारी एंव
सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा... 2021 दिनांक 23-10-2021 को
प्रबन्धक खाघ आपूर्ति निगम टोंक को पत्र क्रमांक ... प्रबन्धक खाघ आपूर्ति
प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना ... दिनांक 7-12-2021 से जवाब
निगम टोंक द्वारा पत्र क्रमांक ... /2021-2022/ ... स्पष्ट है कि आवेदक ... निर्धारित
प्रेषित किया गया। जवाब का अवलोकन करने से ... न्यायालय हाजा में जिस ... की
समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रति प्रेषित की गई है वह भी अस्पष्ट है। सूचना से ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि किस बिन्दु की क्या सूचना है। अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित बिन्दुवार सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रबन्धक खाद्य आपूर्ति निगम टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/उक्त अधिनियम के तहत दी जाने योग्य बिन्दुवार सूचना 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:35 IST
Reason: SelfAttested